

## कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू (राज.)

क्रमांक: एफ.16(6)(3)न्याय/2008/1300

दिनांक- 30.05.2021

:: आदेश ::

(अन्तर्गत धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत कन्टेनमेंट जोन)

यतः मुझे यह अवगत करवाया है कि जिला झुंझुनू के उपखण्ड क्षेत्र नवलगढ के ग्राम चैलासी में निवासरत 08 व्यक्तियों के नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित पाये जाने के कारण उक्त विमारी से झुंझुनू जिले के नागरिकों में उक्त संक्रमण की संभावनाओं के मध्यनजर मानव जीवन को खतरे, स्वास्थ्य एवं इसके कारण लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है।

उक्त परिस्थितियों से मेरा समाधान हो गया है एवं मैं सन्तुष्ट हूँ कि ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया जिला झुंझुनू के उपखण्ड क्षेत्र नवलगढ के ग्राम चैलासी में निवासरत नागरिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं लोक प्रशान्ति बनाये रखने की दृष्टि से जिला झुंझुनू के उपखण्ड क्षेत्र नवलगढ के ग्राम चैलासी के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाकर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की जावे।

अतः मैं उमरदीन खान, (I.A.S.) जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला झुंझुनू के उपखण्ड क्षेत्र नवलगढ के ग्राम चैलासी के क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया जाकर इसके सीमा क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू करने के आदेश देता हूँ कि :-

- 1 कोरोना वायरस के संक्रमण की गंभीरता को देखते हुए उक्त जिला झुंझुनू के उपखण्ड क्षेत्र नवलगढ के ग्राम चैलासी की सीमा में निवासरत नागरिकगण अपने निवास स्थान से अनावश्यक कारण के आवागमन नहीं करेंगे।
- 2 कोरोना वायरस के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की राहत/मदद हेतु अपने क्षेत्र के नियुक्त नोडल प्रभारी (उपखण्ड मजिस्ट्रेट)/चिकित्सा दल से सम्पर्क करेंगे।
- 3 किसी भी प्रकार की सार्वजनिक एवं निजी परिवहन एवं आवागमन प्रतिबाधित रहेगा।
- 4 झुंझुनू जिले में नियुक्त समस्त चिकित्सा दल अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में कोरोना वायरस के बचाव हेतु आमजन में अधिक से अधिक प्रचार - प्रसार किया जाना सुनिश्चित करें।
- 5 यह प्रतिबंध बीमार व्यक्तियों, चिकित्सकीय आपात स्थिति से प्रभावित व्यक्तियों के लिए लागू नहीं होगा।
- 6 उक्त क्षेत्र के व्यवसायिक/व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दैनिक आवश्यकताओं से सम्बन्धित किराणा एवं जनरल स्टोर इत्यादि एवं सब्जी की दुकानें बन्द रहेगी।
- 7 यह प्रतिबंध चिकित्सा कार्मिकों, सफाई कर्मियों तथा कानून व्यवस्था एवं अधिकृत रसद सामग्री के लिए नियुक्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा।
- 8 उक्त क्षेत्र में पुलिस द्वारा निर्धारित एन्ट्री पॉइन्ट्स पर चिकित्सा विभाग द्वारा टीम नियुक्त की जावेगी, जिसके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि बिना स्क्रीनिंग के कोई भी व्यक्ति उक्त क्षेत्र में प्रवेश नहीं करे और ना ही उक्त क्षेत्र से बाहर निकले।
- 9 विकास अधिकारी, पंचायत समिति, नवलगढ कन्टेनमेंट जोन में हाइपो क्लोराईड का स्प्रे करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा आवश्यकतानुसार बेरिकेटिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 10 मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू कन्टेनमेंट जोन में टीम घटित कर घर-घर सैम्पलिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा संक्रमित व्यक्तियों की कोन्टेक्ट हिस्ट्री तैयार कर सभी की सैम्पलिंग करवाया जाना सुनिश्चित करें।
- 11 जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू कन्टेनमेंट जोन में आवाजाही पर नियंत्रित किया जाना सुनिश्चित करें।
- 12 कन्टेनमेंट जोन में 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकठ्ठे नहीं होंगे।
- 13 मैं उक्त क्षेत्र के सभी निवासियों को इस आदेश की पालना करने एवं अवहेलना नहीं करने के निर्देश देता हूँ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाकर दिनांक 03 जून 2021 की मध्य रात्रि तक प्रभावी रहेगा।

  
District Magistrate  
JHUNJHUNU



कार्यालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू, Tel.No. (0) 01592-232237, FAX No. 01592-232040 E-Mail col.jjn@gmail.com



इस आदेश का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोजन प्रस्तुत करने की कार्यवाही की जावेगी।

चूँकि इस आदेश की तामील व्यक्तिशः करना सम्भव नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश को जिले के समस्त मुख्य स्थानों पर चस्पा करवाकर एवं स्थानीय समाचार पत्रों व प्रचार प्रसार के माध्यमों से समस्त नागरिकों को अवगत करा दिया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 30 मई 2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया।

(उमर दीन खान)  
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
District Magistrate  
JHUNJHUNU  
दिनांक: 30.05.2021

क्रमांक: एफ.16(6)(3)न्याय/2008/1300

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :-

1. प्रमुख शासन सचिव, गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
5. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
6. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जयपुर।
7. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, राजस्थान राज्य।
8. जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित थानाधिकारी को इसकी सूचना दी जावे तथा आदेश की पालना सुनिश्चित करावे।
9. उपखण्ड मजिस्ट्रेट (समस्त जिला झुंझुनू)
10. उप पुलिस अधीक्षक, (समस्त जिला झुंझुनू)
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू।
12. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुंझुनू।
13. जिला शिक्षा अधिकारी मा/प्रा., झुंझुनू।
14. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नवलगढ को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार करवाया जावे।
15. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, झुंझुनू को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार जरिये प्रेस नोट स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से जन साधारण को कराया जावे।
16. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका .....।
17. सम्बन्धित विकास अधिकारी, पंचायत समिति को प्रचार प्रसार हेतु।
18. सम्बन्धित थानाधिकारी को भेजकर लेख है कि आदेश का व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे एवं अक्षरशः पालना सुनिश्चित करवायी जावे।
19. नोटिस बोर्ड कार्यालय .....।
20. गार्ड फाईल/निजी सहायक/सहायता शाखा, कलेक्ट्रेट, झुंझुनू।



जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
District Magistrate  
JHUNJHUNU  
दिनांक: 30.05.2021

कार्यालय जिला कलेक्टर, झुंझुनू, Tel.No. (0) 01592-232237, FAX No. 01592-232040 E-Mail col.jjn@gmail.com